दिनांक

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डीओ.)कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 51 / 2019 वाद

श्री मोहनलाल बनाम श्रीमती सोहनीदेवी वगैराह

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर / सूचना
18/7/24	पत्रावली पेश हुई । अधिवक्ता वादी उपस्थित है । अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई । अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस मे बताया कि तहसीलदार साहब कुम्भलगढ से प्राप्त विभाजन फहरिस्त के साथ नक्शाट्रेस अनुसार विभाजन कर दिया जावे ।अधिवक्ता वादी को कोई आपत्ति नही होने से तहसीलदार कुम्भलगढ से प्राप्त विभाजन फहरिस्त एवं नक्शा ट्रेस स्वीकार किये जाकर ग्राम समीचा पटवार मण्डल समीचा तहसील कुम्भलगढ की जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता संख्या 368 किता–11 रकबा 1.08.10 बीघा भूमि का स्वीकृत विभाजन फहरिस्त एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है । स्वीकृत विभाजन फहरिस्त एवं नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा । तदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जाता है । पालना हेतु डिक्री की प्रमाणित प्रति व स्वीकृत विभाजन फहरिस्त व नक्शा ट्रेस तहसीलदार कुम्भलगढ को भेजा जावे । वादी का वाद स्वीकार किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।	

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ

सहायक कलक्टर
(एस.डी ओ.). कुम्भलगढ
जिला–राजसमन्द

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.08.08 16:44:09 IST
Reason: SelfAttested